उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा अनुभाग-9

संख्याः 239 / पाँच-9-2023 लखनऊ, दिनांक ०६ फ्रान्ध, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 47 सन् 2021) की धारा 35 की उपधारा (2) व धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) तथा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 42 सन् 2021) की धारा 12 की उपधारा (2) व धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ब) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक जिला हेत् निम्नलिखित सदस्यों सहित समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति करती हैं:-

1. जिला मजिस्ट्रेट	– अध्यक्ष
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट	– सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	– सदस्य सचिव
4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ	– नामनिर्दिष्ट सदस्य
/प्रसूति रोग विशेषज्ञ / बाल रोग	
विशेषज्ञ / रेडियोलॉजिस्ट	
5. संयुक्त निदेशक, अभियोजन	– सदस्य

आज्ञा से,

Signed by अपर्णा

उपाध्याय

Date: 06-03-2023 13:26 (2 अपर्णा यू0)

Reason: Approved

सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

CHIKITSA ANUBHAG-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.239 /five-9-2023 dated, o 6 March, 2023

> Notification No.239 /five-9-2023 Lucknow: Dated of March, 2023.

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 35 and clause (b) of sub-section (3) of section 35 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (Act no. 47 of 2021) and sub-section(2) of section 12 and clause (b) of subsection (3) of section 12 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (Act no. 42 of 2021) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to appoint the Appropriate Authority in each district of the State with the following members, for the purposes of the aforesaid Acts:-

> 1. District Magistrate -Chairperson -Member 2. Additional District Magistrate

3. Chief Medical Officer -Member Secretary

4. Gynecologist/Obstetrician/ Pediatrician/Radiologist nominated by the Chairman

-Nominated Member

5. Joint Director, Prosecution -Member

By Order

Signed by अपर्णा

उपाध्याय

Date: 06-03-2023 13:27:42(Aparna U) Secretary Reason: Approved